महत्वपूर्ण

संख्या - 04/2018/118/38-10-2018-24/17

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2018

विषय : मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर गठित समिति में आंशिक संशोधन किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में **"मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना"** के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या: 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु **मण्डल स्तर** पर गठित **अनुश्रवण समिति** से संबंधित उक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 के प्रस्तर-9 के उपप्रस्तर-(IV)(ख) में सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्रम सं0	शासनादेश का प्रस्तर	शासनादेश में पूर्व निर्धारित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3	4
1	9 (IV)(ख)	(ख) अपर आयुक्त–सदस्य सचिव	(ख) संयुक्त विकास आयुक्त–सदस्य सचिव

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या: 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं ।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 04/2018/118 (1)/38-10-2018-24/17 तददिनांकित।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
6- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
7- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन ।
8- समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन एवं वन्यजीव, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
14- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।